

**कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, बागेश्वर**

दिनांक अप्रैल, 15-7-2016

पत्रांक 1531/ 2 ई0व0भू0
सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर

विषय:- हरिनगरी-पयां मोटर मार्ग से दाबू हड़ाप तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
संख्या 10042/ 2015)

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त, अल्मोड़ा का पत्रांक 3626/ 12-1 दिनांक 01.04.2016
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको सम्बोधित है। भारत सरकार द्वारा जारी EDS dated 21.03.2016 FP/ROAD/ 10042/ 2015 पर नोडल अधिकारी, कार्यालय, द्वारा दिनांक 31.03.2016 को अग्रसारित आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार किया जा रहा है :-

क.सं.	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Short narrative of the Project does not give adequate information in part I.	Details nerrative for the project is given in Justification and report, may kindly seen..
2	Authority letter does not issued for the applicant information filled.	Proposal online uploaded on 11.02.2015 by Sri Mahendra Kumar and authority letter was also in the name of Sri Mahendra Kumar. A photo copy of his authority letter is being uploaded for information.
3	Starting and end point of the proposed road is not market on the SOI topo sheet map uploaded in part I.	Starting point Malla paya and end point village Harap already mentioned in Geo-referenced Digital map, may kindly seen.
4	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	For 50 years. has been mentioned in appropriate place of part I.
5	GPS co-ordinate marked digitally on geo-referenced map for every corner of land proposed for CA is not provided. It should be uploaded in the designatd place in part I and II. Google map is not acceptable for the purpose.	CA proposed in village Bagdungra in Tehsil Bageshwar. A revised Geo-referenced Digital map for CA is being uploaded in part I as per instructions and hard copy attached for record.
6	Ownership details, Khasra numbers and copy of MOU signed regarding CA site between owner and the user agency is not uploaded in part I for the area indentified for CA.	The CA site is proposed within approved land bank by State Govt and already handed over to Forest Department for administrative control as per D.M letter no. 558/ XXVI-Ban/ 2010-11 dated 02.07.2010, A copy of above letter along with land scheldule and certificate is attached.

7	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extension of already approved road. Therefore, past information in the designated column in part I regarding prior approved case is need to be mentioned.	The proposed motor road is an extension of Harinagri-Paya Motor road . Information regarding prior approval is being mentioned in part I. Copy of prior approval is being enclosed herewith.
8	The muck disposal is proposed with in RoW therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping site selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 M width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced google map. The Area for muck dumping site is already included in land schedule of state land as mentioned in item 7 of Muck disposal plan.
9	Part II, II,III. IV and V filled in online form is not provided with the hard copy of the proposal.	It will be provided by State Govt.

अतः तदनुसार सूचना अपने स्तर से upload कराने का कष्ट करें।

15.7.16
अधिसूची अमियन्ता
ग्रामीण सड़क लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

प्रेषक,

श्री राजन कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 10, मार्च, 2006.

विषय:- जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्यौ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-3731/1जी-1155 (बागेश्वर) दिनांक-03-03-2006 के तत्त्वर्ष में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर में हरिनगरी-पर्यौ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.90 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या:-8बी/यू.सी.पी./06/150/2005/एफ.सी./2991 दिनांक 20-02-2006 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह, उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यदि कोई हो और उनका पातन किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।
7. वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हाथ न पहुँचायें, इसके लिए लोक निर्माण विभाग ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य वैकल्पिक ईंधन सानग्री उपलब्ध करायेगा।
8. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा 9.80 हे० अवनत वन क्षेत्र पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण किया जायेगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं सू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. कार्य आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आधेसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी से एन0पी0वी0 की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रवन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMP) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यय पर चार0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व दोक बियरिंग लेकर) सीनॉकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या-जी0आई0:- 1047 /7-1-2006-600(1151)/2005 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।